उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–800–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 18–60–पी / 1998(टी0सी0–1), दिनांक 07 जुलाई , 2018

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी / मेरठ / आगरा / लखनऊ एवं केस्को, कानपुर।

विषयः– ऊर्जा निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की अनन्तिम पेंशन / अनन्तिम ग्रेच्युटी का कोषागारों के माध्यम से भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव (ऊर्जा) ने अपने पत्र संख्या–07 / 2018 / 1247 / 24–पी–2–18–सा0(84) / 2014 दिनांक 29.06.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि शासनादेश संख्या–02 / 2018 / 810 / 24–पी–2–17–सा0(84) / 2014 दि0 26.03.18 के कियान्वयन में कठिनाइयॉ आ रही है। इन कठिनाईयों के निराकरण हेतु उक्त शासनादेश संख्या–07 / 2018 / 1247 / 24–पी–2–18–सा0(84) / 2014 दिनांक 29.06.2018 द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है। यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–10–124 / 54–2018 दि0 27.06.2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैः–

(1) प्रत्येक निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनन्तिम पेंशन / अनन्तिम ग्रेच्युटी के बिल कोषागार में प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपद स्तर पर समुचित स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत आदेश की प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार तथा प्रदेश के सभी कोषागारों को पृष्ठांकित की जायेगी।

(2) सचिव, ट्रस्ट जिनके हस्ताक्षर शासनादेश संख्या–1 / 2016 / 41 / 24–पी–2–16–सा0(84) / 2014 दिनांक 13.01.2016 मे दी गयी व्यवस्था अनुसार निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 द्वारा प्रमाणित किये गये है, के द्वारा उपर्युक्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रमाणित कर सम्बन्धित जनपद के कोषागार को प्रेषित किये जायेगें।

(3) अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी भुगतान सम्बन्धी आदेश में सेवानिवृत्त कार्मिक के बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा, आई0एफ0एस0 कोड का विवरण अनिवार्यतः अंकित किया जायेगा। आदेश के साथ बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित एवं आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी।

(4) उपर्युक्त अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिमाह अनन्तिम पेंशन का देयक संगत ट्रेजरी बिल फार्म संख्या–106 पर सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा देयक प्रतिहस्तांक्षरित कर बिल का आहरण अपने डी0डी0ओ0 कोड पर करते हुये अनन्तिम पेंशन की धनराशि ई–पेमेन्ट के माध्यम से सम्बन्धित कार्मिक के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(5) अनन्तिम पेंशन का भुगतान छः माह के लिये किया जायेगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की अन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। यदि प्रशासनिक कारणों से अन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है, तो अनन्तिम पेंशन की अवधि छः माह के लिए विस्तारित की जा सकेगी। बारह माह के उपरान्त अनन्तिम पेंशन की अवधि का विस्तारण शासन की अनुमति से किया जायेगा।

क्रमशः......2

(6) अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ करने के पहले अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के रूप में आहरित धनराशि का समायोजन क्रमशः पेंशन एवं ग्रेच्युटी से किया जायेगा। इस हेतु तैनाती के अन्तिम कार्यालय द्वारा अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित कोषागार के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उस कोषागार को प्रेषित किया जयोगा, जहां से अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ किया जाना है।

(7) यह आदेश दिनांक 01.04.2018 से लागू माने जायेगें।

अतः आपसे अनुरोध है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान कोषागारों के माध्यम से कराये जाने हेतु शासन के उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या–800(1)/पें0एवंआर0/पाकालि/2018, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियॉ।
8. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. कार्पोरेशन मुख्यालय समस्त अनुभाग/शिविर।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. कट फाईल।

संलग्नक : यथोपरि।

आज्ञा से,

7.7.18

(सैयद आरिफ हैदर)
अनु सचिव(पें0एवंआर0)

संख्या-7 /2018 /1247/24-पी-2-18- सा0(84)/2014

प्रेषक:

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, कोषागार,उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ

2-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ/मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी (केस्को), कानपुर।

ऊर्जा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 जून 2018

विषयः- **ऊर्जा निगमों के सेवानिवृत्त कार्मिकों की अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी का कोषागारों के माध्यम से भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-02/2018/810/24-पी-2-17-सा0(84)/ 2014 दिनांक 26 मार्च, 2018 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैः-

(1) प्रत्येक निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनन्तिम पेंशन/अनन्तिम ग्रेच्युटी के बिल कोषागार में प्रस्तुत किये जाने हेतु जनपद स्तर पर समुचित स्तर के अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा। प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस संबंध में निर्गत आदेश की प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार तथा प्रदेश के सभी कोषागारों को पृष्ठांकित की जायेगी।

(2) सचिव, ट्रस्ट जिनके हस्ताक्षर शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2- 16-सा0 (84)/2014 दिनांक 13.01.2016 में दी गयी व्यवस्था अनुसार निदेशक कोषागार, उ0प्र0 द्वारा प्रमाणित किये गये है, के द्वारा उपर्युक्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रमाणित कर संबंधित जनपद के कोषागार को प्रेषित किये जायेगें।

(3) अनन्तिम पेंशन एवं अनन्तिम ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी आदेश में सेवानिवृत्त कार्मिक के बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा, आई0एफ0एस0 कोड का विवरण अनिवार्यतः अंकित किया जायेगा। आदेश के साथ बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित एवं आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी।

(4) उपर्युक्त अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिमाह अनन्तिम पेंशन का देयक संगत ट्रेजरी बिल फार्म संख्या 106 पर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा देयक प्रतिहस्ताक्षरित कर बिल का आहरण अपने डी0डी0ओ0 कोड पर करते हुये अनन्तिम पेंशन की धनराशि ई-पेमेन्ट के माध्यम से संबंधित कार्मिक के बैंक खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(5) अनन्तिम पेंशन का भुगतान छः माह के लिये किया जायेगा। इस अवधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की अन्तिम पेंशन स्वीकृत कर दी जायेगी। यदि प्रशासनिक कारणों से अन्तिम पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है, तो अनन्तिम पेंशन की अवधि छः माह के लिए विस्तारित की जा सकेगी। बारह माह के उपरान्त अनन्तिम पेंशन की अवधि का विस्तारण शासन की अनुमति से किया जायेगा।

(6) अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ करने के पहले अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के रूप में आहरित धनराशि का समायोजन क्रमशः पेंशन एवं ग्रेच्युटी से किया जायेगा। इस हेतु तैनाती के अन्तिम कार्यालय द्वारा अनन्तिम पेंशन तथा अनन्तिम ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रमाण पत्र जो संबंधित कोषागार के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, उस कोषागार को प्रेषित किया जायेगा, जहां से अन्तिम पेंशन एवं अन्तिम ग्रेच्युटी का भुगतान प्रारम्भ किया जाना है।

(7) यह आदेश दिनांक 01.04.2018 से लागू माने जायेंगे।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-10-124/54-2018 दिनांक 27 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या- **7 / 2018** /1247(1)/24-पी-2-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) सचिव/निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

एस0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव